



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2021— वैशाख 17, शक 1943

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2021

क्र. 1158-आर.2694-2020-पैंतीस.-राज्य शासन, एतद्वारा, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अन्तर्गत धारा 65 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1993 के नियम 3 के उपनियम (7) के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन हेतु डॉ. आर. के. मेहिया, संयुक्त संचालक, संचालनालय, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल को निर्वाचन अधिकारी एवं डॉ. एस. डी. खरे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पशुपालन विभाग को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

No. 1158-R-2694-2020-XXXV.- In exercise of the powers conferred by the Section 65 of Veterinary Council Rules, 1984 (52 of 1984), the State Government of Madhya Pradesh, hereby Designated Dr. R. K. Mehia, Joint Director, Veterinary Services, Bhopal as a Returning Officer and Dr. S. D. Khare, (O.S.D.) Department of Animal Husbandry and Dairy, Bhopal as a Assistant Returning Officer for the purpose of said rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव।